जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के पुर्नगठन हेतु डी0पी0आर0 गठन एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक-05.05.2022 को आहूत बैठक की कार्यवृत्ति।

आज दिनांक 05.05.2022 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी कौशाम्बी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक प्रारम्भ हुयी।

सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा पूर्व की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति ने सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी0डब्ल्यू0एस0एम0, कौशाम्बी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित फर्म द्वारा जनपद कौशाम्बी की 02 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/सदस्य सचिव द्वारा दिनांक 05.05.2022 को प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(रू. 05.00 करोड से अधिक लागत के डी0पी0आर0)

क्र0 सं0	विधाना सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम समूह पेयजल योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की सं0	कुल वर्क कास्ट (रू0 लाख में)	सेन्टेज (रू0 लाख में)	कुल डी0पी0आर0 लागत (रू0 लाख में)	डिजाइन वर्ष में प्रति व्यक्ति लागत (रू0 हजार में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चायल	चरवा	चायल	17	9926	3363.30	375.37	3738.68	3754
2	सिराथू	उदहिन बुजुर्ग	सिराथू	7	3186	1138.14	127.02	1265.17	4086

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार जानकारी दी गयी है :-

- उदहिन बुजुर्ग ग्राम समूह पेयजल योजना के डी0पी0आर0 में 07 राजस्व ग्राम सम्मिलित है, वर्तमान "हर घर नल से जल योजनान्तर्गत चरवा ग्राम समूह पेयजल योजना को 04 जोन में विभक्त कर कुल 49.738 किमी0 पाइप लाइन, 05 नग नये नलकूप एवं कुल 3186 नग FHTC प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।
- चरवा ग्राम समूह पेयजल योजना के डी0पी0आर0 में 17 राजस्व ग्राम सम्मिलित है, वर्तमान "हर घर नल से जल योजनान्तर्गत चरवा ग्राम समूह पेयजल योजना को 09 जोन में विभक्त कर कुल 135.417 किमी0 पाइप लाइन, 15 नग नये नलकूप एवं कुल 9926 नग FHTC प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं के पुर्नगठन मे पूर्व निर्मित संरचनाओं (ओ0एच0टी0, पम्प हाउस व बाउण्ड्री वाल) के उपयोग का प्राविधान अनन्तिम रूप से किया गया है और यदि एम0एन0एन0आई0टी0,(इलाहाबाद) प्रयागराज से उनके अनुपयोगी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो उक्त के स्थान पर नये संरचनाओं के निर्माण लागत को भी प्राक्कलन में प्राविधानित किया गया है। प्रस्तुत किये जा रहे डी0पी0आर0 में समस्त कार्य सम्मिलित करने के उपरान्त डिजाइन वर्ष प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000.00 से कम है जो कि शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। यह भी अवगत कराया गया कि डी0पी0आर0 का स्थलीय परीक्षण जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता एवं उनके द्वारा स्वयं किया गया है, तदोपरान्त उसकी तकनीकी स्वीकृति राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से प्राप्त कर ली गयी है। साथ ही साथ अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पुर्नगठन होने वाली चरवा ग्राम समूह पेयजल योजना की अनुमानित लागत रू0 37.386 करोड एवं उदहिन बुजुर्ग ग्राम समूह पेयजल योजना की अनुमानित लागत रू0 12.651 करोड है। जिनको यदि समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो उक्त योजनाओं से पूर्व में अच्छादित समस्त राजस्व ग्रामों को हर घर नल से लाभन्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गये :-

- प्रस्तुत 02 नग ग्राम समूह पेयजल योजना के डी0पी0आर0 में कोई भी योजना गुणवत्ता प्रभावित नही है तथा पूर्व में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में वर्तमान तक जनपद की कुल 09 नग परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रस्तुत 02 नग प्राक्कलन क्रमशः चरवा एवं उदहिन बुजुर्ग ग्राम समूह पेयजल योजना को इस प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त आंगणन के कार्यो के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसे सुनिश्चित करने एवं अनुपालन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0) का होगा।
  (कार्यवाही- मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0))
- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0) द्वारा तैयार की गई प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से कराने उपरान्त प्रेषित किया जा रहा है। उक्त प्राक्कलन में यदि भविष्य में अन्य संस्था/जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्यो के विपरीत विरचन अथवा दरों में भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा। साथ ही साथ फर्म उक्त डी0पी0आर0 को अपने व्यय पर संशोधित करेगी, जिसके लिए फर्म को कोई भी अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।
  (कार्यवाही- मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0))
- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं0 344/डब्लू-17/2020-21 दिनांक 04.06.2021 के क्रम मे 16 घंटे पम्पिंग ऑवर को लेते हुए वर्ष 2052 हेतु डिजाईन किया गया है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त टेल इन्ड एवं क्रिटिकल प्वाइंट पर मिनिमम टर्मिनल हेड 07 मीटर प्राप्त किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0) की होगी। फर्म का अन्तिम भुगतान अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त किया जाये।
  (कार्यवाही- अधि0 अभि0 जल निगम/अधि0अभि0 सिंचाई विभाग/ मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0))

- जनपद की 09 पेयजल योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय पेयजल योजना स्वीकृति समिति से स्वीकृत की जा चुकी है उसके सापेक्ष 05 नग परियोजनाओं का कवर अनुबन्ध गठन हो जाने के पश्चात् भी फर्म द्वारा मात्र 02 योजनाओं पर नलकूप बोरिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिससे परीलक्षित होता है कि फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में टी0एण्ड0पी0 एवं स्टाफ की कमी है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि फर्म समस्त स्वीकृत परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे एवं योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु बार–चार्ट तैयार कर अधिशासी अभियन्ता जल निगम के माध्यम से फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर स्वयं प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता जल निगम/ मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0))

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 07/2022/430/छिहत्तर–1–2022–25सम/2019 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में रू0 05.00 करोड से अधिक लागत के डी0पी0आर0 को राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से वेटिंग उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता जल निगम/ मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0))

अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन फेज–3 के अन्तर्गत जनपद में आवंटित ग्रामों के डी0पी0आर0 के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी, जिस पर फर्म मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 एवं मे0 बाबा के प्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि डी0पी0आर0 वर्तमान में प्लानिंग फेज में है और दिनांक 25.05.2022 से 30.05.2022 तक फर्म उन डी0पी0आर0 को प्रस्तुत करने की स्थिति मे होगी। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को आदेशित किया गया है कि दिनांक 15.05.2022 तक प्रत्येक दशा में फेज–3 के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त ग्रामों मे भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाये एवं जिन ग्रामों में भूमि न उपलब्ध हो उसकी भी सूची उपलब्ध करायी जाये, उक्त दिनांक के उपरान्त फर्म द्वारा भूमि से सम्बन्धित किसी प्रकार के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायें।

अन्त में बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सधन्यवाद समाप्त हुयी।

(सुजीत कुमार)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कौशाम्बी।

कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी ।

पत्रांक 692 / W-74 / 417 दिनांक – 28/05/2022

प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
2. जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।
6. जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिर्सोर्सेस/सिंचाई कौशाम्बी।
9. अधिषासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
10. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी ।
11. प्रतिनिधि मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0 एल0 (जे0वी0) 06 तल, कलपतरू सेनर्जी ग्राण्ड हायात होटल के सामने सान्ताक्रूज (ईस्ट) मुम्बई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 02 दिवस के अन्दर स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे अन्यथा आपकी फर्म के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को संस्तुत कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी फर्म की होगी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी ।